

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क.कमांक-156/2014
 संस्थित दिनांक-28.02.2014
 फाईलिंग क.234503001852014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

1—केसरबाई पति झीदूलाल पारधी, उम्र—50 वर्ष,
 निवासी—ग्राम सालेटेकरी, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—निर्मलाबाई पति चोखेलाल पारधी, उम्र—33 वर्ष,
 निवासी—ग्राम सालेटेकरी, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—सोनम पति चंद्रकांत पारधी, उम्र—24 वर्ष,
 निवासी—ग्राम सालेटेकरी, थाना बिरसा,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-10/07/2015 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324/34, 506 (भाग-दो) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-02.02.2014 को 06:30 बजे चौकी सालेटेकरी, आरक्षी केन्द्र बिरसा अन्तर्गत ग्राम सालेटेकरी तालाब के पास फरियादी ध्यानबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहत ध्यानबाई को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आहत बीनाबाई को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-02.02.2014 को करीब 6:30 बजे फरियादी ध्यानबाई अपने पति नन्दू मरार व बीनाबाई अपने पति रेवाराम मरार के साथ गांव के तालाब के पास सरकारी जमीन में रहने के लिए मकान बना रहे थे, तभी ग्राम सालेटेकरी की कैसरबाई तथा उसकी दो बहुएं निर्मलाबाई एवं सोनम पारधी उस जमीन को अपनी जमीन होना बताते हुए उन्हें मकान बनाने से मना करने लगे और उनका सामान फेंकने लगे और तीनों ने मिलकर हाथ-मुक्कों से मारपीट किया, जिससे ध्यानबाई को चोट आई और बीनाबाई के हाथ में दांत से काट दिया, जिसका बीच-बचाव नन्दू मरार एवं रेवाराम मरार ने किया था। उक्त घटना की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी सालेटेकरी में अपराध क्रमांक-0/14 में दर्ज की गई, जिसे असल नम्बरी हेतु भेजा गया, जहां आरक्षी केन्द्र बिरसा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक-16/14, धारा-294, 323, 324, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324/34, 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी/आहतगण ध्यानबाई एवं बीनाबाई ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपीगण के विरुद्ध धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो भा.द.वि. के अपराध का शमन किया गया है तथा शेष अपराध अंतर्गत धारा-324/34 भा.द.वि. के तहत विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-02.02.2014 को सुबह 6:30 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अन्तर्गत ग्राम सालेटेकरी में आहत बीनाबाई को मारपीट कर उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में आहत बीनाबाई को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— ध्यानबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वर्ष 2014 की सुबह 7:00 बजे की है। उस समय वह सरकारी जमीन में अपना घर बना रही थी, तो तीनों आरोपीगण आए और मकान बनाने के उपर से विवाद करते हुए उसे मारपीट की तथा उसके साथ उपस्थित बीनाबाई को आरोपी केसर ने दांत से काट लिया, जिससे उसे चोट आई थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसका मकान पुलिस के साथ मिलकर तुड़वा दिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उनके विरुद्ध भी रिपोर्ट लिखाई थी। साक्षी के कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

6— बीनाबाई (अ.सा.2) वह आरोपी केसरबाई, निर्मला, सोनमबाई तीनों को जानती है। घटना दिनांक-02.02.2014 की सुबह 6:30 बजे की ग्राम सालेटेकरी कोपेभाटा की है। उनका और आरोपीगण के बीच झगड़ा हो गया था। उसके साथ आरोपीगण ने मारपीट की थी। उसके दाएं हाथ में दांत से केसरबाई ने काट दी थी, जिससे उसे चोट आई थी। पुलिस ने उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह हाथ के बल गिर गई थी, जिस कारण उसे चोट आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे दांत से काटने से चोट नहीं आई थी तथा उसने अपने पुलिस कथन में भी दांत से काटने वाली बात नहीं बताई थी। यदि उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 में केसरबाई द्वारा उसे काटने से चोट आने वाली बात लिखी हो तो वह गलत है। इस प्रकार साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण से हटकर प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन करते हुए अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

7— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वयं आहत बीनाबाई (अ.सा.2) ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षीगण के अलावा ध्यानबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी केसरबाई के साथ आहत बीनाबाई को दांत से काटने के कथन किये हैं, किन्तु स्वयं आहत बीनाबाई (अ.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में आरोपी केसरबाई के द्वारा उसे दांत से काटने से इंकार कर घटना के समय हाथ के बल गिर जाने से उसे चोट आने के कथन किये हैं। उक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। स्वयं आहत बीनाबाई (अ.सा.2) के द्वारा अभियोजन मामलों का

समर्थन न करने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है, जिसका लाभ आरोपीगण को प्राप्त होता है। ऐसी दशा में आरोपी केसरबाई एवं अन्य आरोपीगण के विरुद्ध आहत बीनाबाई को कथित दांत से हाथ में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

8— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना के समय आरोपीगण ने आहत बीनाबाई को मारपीट कर उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में आहत बीनाबाई को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। अतएव आरोपीगण को धारा-324/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

9— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट